न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर : 21.09.2021

प्रकरण संख्या :44 / 2021

अनवान

प्यारचन्द पिता मोतीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)। .... प्रार्थी

बनाम

01. शम्भूलाल पिता काना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. मांगीलाल पिता गिरधारी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. मोहनलाल पिता गिरधारी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. शंकरलाल पिता छितर जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
05. रमेश पिता छितर जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

— : **आदेश** : —

दिनांक 25/11/2021

प्रार्थना पत्र प्यारचन्द पिता मोतीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा लक्ष्मीखेडा पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 118 पर आराजी संख्या 557 / 295 रकबा 0.3237 है0 भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान लक्ष्मीखेडा में पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074– 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार / गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि मौजा लक्ष्मीखेडा पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 118 पर आराजी संख्या 557 / 295 रकबा 0.3237 है0 भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि **100/–** रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलियांकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस **500/–** रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

सीमा तिवाड़ी

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

अधिकारी
प्रशासन गाँवो संग अभियान-2021
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

प्रशासन गाँवों संग अभियान-2021 ★ उप खण्ड बिजौलियाँ ★